सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक, 2268/मंत्री/को.
दिनांक, 02-01-2019

विषय :भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को धान बेचने वाले किसानों को 200 रूपया प्रति क्विण्टल की दर से प्रोत्साहन बोनस भुगतान करने के संबंध में.

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार.

उपर्युक्त विषय से संबंधित संचिका विगत कई दिनों से आपके पास पडी हुई है. कैलेंडर वर्ष 2019 का अंतिम दिन बीतने और सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान खरीद आरम्भ हुये एक माह बीत जाने के बाद भी संचिका का निष्पादन नहीं हुआ है. इससे धान बेचने के इच्छुक किसानों के बीच निराशा है. इसके पूर्व वर्ष 2016–17 और 2017–18 में क्रमशः 130 रूपया प्रति क्विंटल और 150 रूपया प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान बेचने वाले किसानों को बोनस का भुगतान हुआ है. एक तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को प्रोत्साहन बोनस देने की योजना नई नहीं है, फिर भी अधोहस्ताक्षरी को उचित प्रतीत हुआ कि इस पर योजना एवं वित्त विभाग के वित्त प्रभाग और योजना प्राधिकृत समिति के माध्यम से इस पर इस विभाग के मंत्री के नाते आपकी सहमति प्राप्त कर ली जाय. आपको स्मरण होगा मंत्रिपरिषद की एक बैठक में भी यह विषय अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनौपचारिक रूप में रखा गया था और किसानों को प्रोत्साहन बोनस देने के बारे में किसी भी मंत्री की असहमति नहीं थी. तदुपरांत अधोहस्ताक्षरी की पहल पर विभाग द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव अग्रसारित किया गया.

वित्त सचिव का मंतव्य आया कि वित्त विभाग के लिये किसांनों को प्रोत्साहन बोनस देने के मद में निधि का उपबंध करना संभव नहीं है. यदि विभाग अपने निधि प्रत्यर्पण मद से बोनस भुगतान करना चाहे तो कर सकता है. यदि विभाग की दृष्टि में यह नई योजना नहीं है तो विभाग इस बारे में अपने स्तर से निर्णय करने के लिये स्वतंत्र है. यदि बोनस भुगतान विभाग की नजर में नई योजना की श्रेणी में है तो इस पर योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति ली जा सकती है. यद्यपि विभाग के लिये यह नई योजना नहीं है. किसानों को प्रोत्साहन बोनस भुगतान की योजना 2016–17 और 2017–18 में लागू हो चुकी है. फिर भी प्रति क्विंटल बोनस की दर में अंतर होने के मद्देनजर अधोहस्ताक्षरी ने विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि इस पर योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त की जाय. योजना प्राधिकृत समिति ने इस पर त्वरित सहमति दे दिया. परंतु योजना मंत्री के नाते इस पर आपकी सहमति अभी तक लंबित है.

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651–2401023, फैक्स : 0651–2402455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

यहां यह उल्लेख प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है कि इस वर्ष किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिये अधोहस्ताक्षरी रीसेट विभाग को 300 करोड रूपये की चक्रीय निधि की जरूरत थी. कारण की पलामू प्रमंडल में एफसीआई को छोड़कर अन्य निजी क्रय एजेंसियाँ झारखंड में धान क्रय हेतु सामने नहीं आई. फलतः राज्य खाद्य निगम को राज्य की सहकारिता संस्थाओं के सहारे धान खरीद के लिये आगे आना पड़ा. इसके लिये आवश्यक कम से कम 300 करोड रूपया की चक्रीय निधि की आवश्यकता थी. परंतु राज्य सरकार का वित्त प्रभाग यह निधि उपलब्ध कराने के लिये तैयार नहीं हुआ. मजबूर होकर विभाग ने विभाग की अन्य योजनाओं की निधि के संभावित प्रत्यार्पण से 200 करोड रुपये का इंतजाम करना पड़ा. नतीजा हुआ है कि विगत वर्षों की तुलना में खरीद केन्द्रों की संख्या इस वर्ष पूर्व के वर्षों से काफी कम, आधा से भी कम है. किसानों को सरकारी खरीद केन्द्र तक धान लेकर आने के लिये लंबी दूरी तय करनी पड रही है. गत वर्ष के 150 रूपया प्रति क्विंटल की तुलना में 200 करोड रूपया प्रोत्साहन बोनस किसानों को देने का प्रस्ताव है. विगत दो वर्षों मे किसानों को बोनस देने पर क्रमशः लगभग 2,85,00,00,00 करोड रूपया और 2,38,40,00,00 करोड रूपया व्यय हुआ है. पूर्व के दो वर्षों में मॉनसून बढिया था, जबकि इस वर्ष सूखा का प्रभाव धान उपज पर स्पष्ट है. कुल मिलाकर कृषि उपज का जो दृश्य है उसे देखते हुये और सरकार की क्रय क्षमता को देखते हुये इस वर्ष किसानों को बोनस भुगतान करने पर अधिकतम 40 करोड रूपया व्यय होने की संभावना है, जिसके लिये उचित माध्यम से सरकार के पास अधियाचना भेजी गई है और जिस पर स्वीकृति की प्रत्याशा में राज्य के किसान हैं.

कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य निर्धारण और इस पर बोनस के भुगतान का अपना अर्थशास्त्र है जिसके विस्तार में गये विना इतना ही उल्लेख पर्याप्त होगा कि इससे केवल वे ही किसान लाभान्वित नहीं होते जो क्रय केन्द्र तक अपनी उपज लेकर आते हैं. बल्कि इससे बाजार पर दबाव बनता है और खुले बाजार में भी उपज का दाम बढ़ता है जिससे वे किसान भी लाभान्वित होते है जो बाजार में उपज बेचते हैं. कारण कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जोड़ बोनस की राशि के समीप दर पर बाजार को भी पहुँचने के लिये विवश होना पड़ता है. किसान भी धान की बिक्री विलम्बित कर या कुछ समय रोकर बाजार के साथ मोल–भाव करने की स्थिति में रहता है. झारखंड जैसे राज्य में क्रय केन्द्र तक धान लाने में होने वाला वाहन व्यय, धान लादने–उतारने–तौलवाने पर होने वाला व्यय, किसान के खुद के समय की कीमत और धान खरीद केन्द्र से चावल मील तक किसान द्वारा झेली जाने वाली अन्य व्यवहारिक कठिनाइयों, तथा धान क्रय करने के लिये उपलब्ध राज्य सरकार का कमजोर संस्थात्मक ढाँचा किसान को विवश करता है कि उसे सरकारी क्रय केन्द्र पर जो वास्तविक मूल्य मिलता है उससे 50–100 रूपया प्रति क्विंटल कम मूल्य बाजार दे तब भी वह अपनी उपज बाजार को बेचना पसंद करता है. कारण कि यह सब के बावजूद बाजार किसान के चौखट पर धान खरीदता है जबकि उसे सरकारी क्रय केन्द्र पर धान लेकर जाना पड़ता है और खरीद प्रक्रिया का विविध प्रकार का नाज–नखडा सहना पड़ता है.

Scanned with OKEN Scanner

न्यूनतम समर्थन मूल्य और उस पर दिया गया प्रोत्साहन बोनस सरकारी क्रय केन्द्र पर आकर धान बेचनेवाले किसान के लिये जितना लाभकारी है उतना ही लाभकारी बाजार के साथ मोल–भाव की ताकत देकर अपने धान की अच्छी कीमत बाजार से भी वसूलने की ताकत उसे प्रदान करता है. इस वर्ष धान की खरीद पर दिये जानेवाले प्रोत्साहन बोनस का व्यय भार भी सरकार के खजाना पर नहीं पड़ेगा कारण कि अधोहस्ताक्षरी का विभाग उसे स्वयं की राशि से वाहन करने के लिये तैयार है. अतः धान खरीद पर बोनस देने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं होने का कोई कारण या औचित्य नहीं है.

एक सूचना अधोहस्ताक्षरी को गत सप्ताह प्राप्त हुई कि दो सप्ताह पूर्व हुई कैबिनेट बैठक, जिसमें मैं उपस्थित नही हो पाया था, के उपरांत मुख्यमंत्री कक्ष में माननीय मंत्रियों के बीच हुई अनौपचारिक चर्चा में माननीय मंत्री सी.पी सिंह ने धान क्रय पर प्रोत्साहन बोनस देने के विषय पर अपनी असहमति व्यक्त किया है. सूचना मिलते ही मैंने माननीय मंत्री सी. पी. सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने इसपर आश्चर्य व्यक्त किया और बताया कि वस्तुतः 200 रूपया प्रति क्विंटल बोनस देने की जगह माननीय मुख्यमंत्री का विचार मात्र 50 रूपया प्रति क्विंटल बोनस देने का आया तो उन्होंने कहा था कि इससे बेहतर तो बोनस नहीं देना है. मैं भी श्री सी. पी. सिंह जी की इस प्रतिक्रिया से पूर्णतः सहमत हूँ और मेरा विश्वास है कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति भले ही वह मंत्री ही क्यों न हो, श्री सी पी सिंह जी के मंतव्य से सहमत होगा.

यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को राज्य के किसानों को धान बिक्री पर 200 रूपया प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस देना ज्यादा प्रतीत हो रहा है तो वे विगत दो वर्षों में किसानों को धान खरीद पर दिये गये बोनस को इस वर्ष के लिये देय बोनस का आधार मानकर एक सम्माजनक राशि की स्वीकृति प्रदान कर इस बारे में अनिश्चितता की स्थिति का पटाक्षेप कर सकते हैं.

सादर,

भवदीय

2.1.2019

सरयू राय

प्रतिलिपि : सभी माननीय मंत्री, झारखंड सरकार.

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner